न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री अंश दीप, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी ::16 / 2021 ::
जीसीएमएस नम्बर :: 2021 / 77

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1. धन्नाराम पुत्र काशीराम 2. नैनाराम पुत्र काशीराम 3. छोटूलाल पुत्र काशीराम जातिगण ब्राहम्ण निवासीगण बैडकलां तहसील जैतारण, जिला पाली।		1. राधेश्याम (फौत) पुत्र काशीराम के कायम मुकाम– 1 / 1 श्रीमती सुगनादेवी पत्नी स्व. श्री राधेश्याम 1 / 2 विमला देवी पुत्री स्व. श्री राधेश्याम 1 / 3 लीलादेवी पुत्री स्व. श्री राधेश्याम जातिगण ब्राहम्ण निवासीगण बैडकलां तहसील जैतारण, जिला पाली। 2. ग्राम पंचायत बैड़कला तहसील जैतारण जिला पाली (राज.) जरिये सरपंच

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थित :– प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री श्याम सिंह सोलंकी
अप्रार्थी की ओर से मोहम्मद शरीफ काजी

—:: नि र्ण य ::—

दिनांक :– 29-11-21

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के बनाराजगी आदेश व दिनांक अंकित नहीं प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित नहीं पट्टा संख्या 470 दिनांक 20.11.1975 ग्राम पंचायत बैड़कला द्वारा पंचायत समिति जैतारण द्वारा जारी किया गया उसे निरस्त कराने हेतु पेश की है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर ग्राम पंचायत से रेकर्ड तलब किया गया। ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत बैड़ कलां ने अपने पत्रांक 736 दिनांक 30.3.2021 के अवगत कराया कि पट्टा संख्या 470 दिनांक 20.11.1975 के सम्बन्धित रेकर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है न ही उसे चार्ज में मिला है। इसके बाद बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का उल्लेख करते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण का एक पुश्तैनी शामलाती बाड़ा (भूखण्ड) मौजा बेड़ कलां में राजकीय माध्यमिक विद्यालय परिसर के पास स्थित है जिसका उपयोग एवं उपभोग काशीरामजी के जीवनकाल से ही सामलाती रूप से कब्जा प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1. स्व. धनश्याम के पिता स्व. काशीराम का निर्विवाद चला आ रहा है। जिसमें मवेशियों को चारा, ईधन लकड़िया, पत्थर व छीणों के टूकड़े व अन्य सामान पड़ा है मौके पर बंटवाड़ा नहीं किया हुआ है प्रार्थीगण के उक्त सामलाती बाड़े का अप्रार्थी संख्या एक अकेले के पक्ष में जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया जो निरस्त योग्य है। जैर निगरानी पट्टा विधी एवं नियमों के विपरीत प्रथमदृष्टया फर्जी व कूटरचित प्रतीत होता है। सुगनादेवी ने पट्टे की प्रति बताते हुए खाली करने की धमकी दी तो प्रथम बार पट्टे की जानकारी हुई। अप्रार्थी द्वारा नकलों हेतु प्रार्थना पत्र आरटीआई के तहत देने पर ज्ञात हुआ कि पट्टे सम्बन्धी रेकर्ड ही उपलब्ध नहीं है। ग्राम विकास अधिकारी ने लिखित में देकर बताया है। इस प्रकार पट्टे सम्बन्धी रेकर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं होने से भी पट्टा निरस्त योग्य है। ऐसा पट्टा औचित्यहीन व प्रारम्भ से शुन्य है। पट्टे के अवलोकन से स्पष्ट है कि प[illegible] संख्या 2 द्वारा जारी ही नहीं किया गया है। पट्टा फर्जी [illegible] अधिनियम के किस प्रावधान के तहत जारी किया गया है [illegible] नहीं है पट्टा जारी कर्ता के हस्ताक्षर भी संदेहास्पद है पेमाराम नाम के सरपंच के हस्ताक्षर है सील अं[illegible]हीं है प्रस्ताव क्रमांक मिसल नं. व वर्ष भी अंकित [illegible] है। इस लिए पट्टा [illegible]त योग्य है। अप्रार्थी संख्या 1 ने फोटोप्रति दी है उसमें जैर निगरानी आराजी के पड़ौस अंकित

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:38:10 IST
Reason: SelfAttested

क्रमश....................2

जिला कलेक्टर, पाली

नहीं है असल पट्टा वे देते नहीं है न बताते है इस सामलाती भूमी को प्रार्थी संख्या 1 स्व. घनश्याम के वारिसान बेचाण करना चाहते है इसलिए जैर निगरानी आराजी पर कब्जा करने की कोशिश की तारबंदी कर कब्जा करने का प्रयास किया। इस प्रकार अप्रार्थी के बेचाण कर देने पर प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी इस वजह से भी पट्टा निरस्त किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थी के अधिवक्ता ने जैर निगरानी आराजी में प्रार्थी व अप्रार्थी के हिस्सों का भी उल्लेख किया। तथा कुल क्षेत्रफल 7425 वर्गफिट बताया जिसे 1/4 हिस्सा प्रत्येक का होना बताया इसका अकेले पट्टा बनाया वह सरासर गलत होने से निरस्त योग्य है।

वकील अप्रार्थी ने अपने जवाब में उल्लेखित तर्को बाबत कथन किया कि पट्टा राधेश्याम के नाम का जारी सुदा है तथा प्रार्थीगण के पिता काशीराम व राधेश्याम भाई थे। राधेश्याम के जीते जी प्रार्थीगण ने उक्त जैर निगरानी पट्टा को चैलेन्ज नहीं किया न आपति की अब सुगना देवी के पुत्र नहीं है तथा दो पुत्रियां ही है इसलिए आराजी को स्व. राधेश्याम की पत्नी सुगना से हड़पने के लिए यह सभी कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थी द्वारा अपने पिता की पैतृक सम्पति होना अभिवचनों में दर्ज किया है। लेकिन दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है। इससे प्रार्थीगण को सुने जाने का किसी प्रकार का अधिकार नहीं रह जाता है। प्रार्थी द्वारा अपने पिता की पैतृक सम्पति होना अभिवचनों में दर्ज किया है लेकिन दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है इससे प्रार्थीगण को सुने जाने का किसी प्रकार का अधिकार नहीं रह जाता है। प्रार्थीगण द्वारा राधेश्याम एवं अपने पिता काशीराम का हकहकूक होना बताया है जो निगरानी के जरिये तय नहीं किए जा सकते है सिविल न्यायालय में घोषणा व बंटवाड़ा का दावा ही एक मात्र उपाय है। इसलिए भी निगरानी खारिज योग्य है। उक्त भूमी का हकतर्कनामा सुगनादेवी ने अपनी पुत्रियों विमल व लीला के पक्ष में दिनांक 18.3.2021 को करवा दिया है जिसे हड़पने के लिए निगरानी पेश की है अप्रार्थिया द्वारा श्यामलाल, रघुनाथ मेघवाल व राजूराम चौहान व सतार खां के शपत्र पत्र भी भूखण्ड राधेश्याम का मालिकाना होने बाबत पेश किए है कब्जा अप्रार्थीगण का बताया है तथा सीमांत काश्तकारों को निःशुल्क आवासीय भूमी आवंटन के रूप में जारी किया गया था। प्रार्थीगण पड़ोस में भी नहीं रह रहे है उनका मकान अन्यत्र है। प्रार्थीगण द्वारा किसी भी आधार के अथवा खण्डनात्मक साक्ष्य पेश किए बगैर पट्टे को फर्जी या कूटरचित नहीं कहा जा सका है। न उन्हें यह हक है। पट्टा बनाने की अपील भी प्रार्थीगण द्वारा प्रावधान होने के बावजूद नहीं की है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 31 के अनुसार सीमांत काश्तकार के पट्टे दिए जाने का प्रावधान है इसी के तहत जारी पट्टे का निगरानी के तहत खारिज नहीं किया जा सकता है। प्रार्थीगण सुगना द्वारा उसकी पुत्रियों के हक में हकत्याग करने से परेशान होकर यह निगरानी पेश की होगी जो निरस्त योग्य है शेष भूमी सामलाती है प्रार्थी व अप्रार्थीगण दोनों का हक हिस्सा है उसका बंटवाड़ा करवाना चाहते है तो कोई भी पक्ष सिविल न्यायालय में वाद दायर करा सकता है। निगरानी में पंचायती राज नियम 1996 के किन–किन नियमों का उल्लंघन हुआ है। अथवा पालना नहीं की है उल्लेख नहीं है इसलिए निगरानी खारिज फरमाई जावे।

बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस निगरानी के संबंध में विचारणीय बिन्दु 2 है :–

1. क्या पुश्तैनी जमीन का पट्टा केवल एक वारिस के नाम बना दिया है
2. क्या पट्टा बनाते समय नियमों की पालना की गई ?

जैर निगरानी आराजी पुश्तैनी है अथवा नहीं इस बाबत प्रार्थी ने अपनी निगरानी में किसी प्रकार का [illegible] साक्ष्य अथवा सबूत पेश नहीं किया है जिससे भूमी का पुश्तैनी होना सिद्ध [illegible] । इस संबंध में प्रार्थी एवं अप्रार्थी के परिवार के ग्राम वारिसों के [illegible] किए गए है जो संलग्न पत्रावली है जिनके अनुसार भी [illegible] भूखण्ड का पुश्तैनी होना प्रमाणित नहीं होता है साक्ष्य सबूतों के अभाव में जैर निगरानी पट्टा पुश्तैनी जमीन का किसी एक के नाम बना दिया जाना सिद्ध नहीं होता है लिहाजा निगरानी निरस्त योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:38:10 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, पाली

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

क्रमश.........................3

जैर निगरानी पट्टा सम्बन्धी पत्रावली पंचायत रेकर्ड में उपलब्ध नहीं है तथा पट्टा 45 साल से अधिक पुराना है तथा बिना मिसल व पंचायत रेकर्ड के पत्रावली के प्रक्रियात्मक त्रुटि के संबंध में निर्णय करना संभव नहीं है।

इस प्रकरण में पारिवारिक विवाद होते हुए हक हकूकों का विवाद होना प्रतीत होता है। जिसका निर्णय इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है जिसके लिए प्रार्थी सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर चाराजोही कर सकता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। एवं जैर निगरानी पट्टा 470 दिनांक 20.11.1975 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29-11-21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया।

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:38:10 IST
Reason: SelfAttested